



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iv)/38

दिनांक :- 30/06/2023

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान आवासन मण्डल में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 को दृष्टिगत रखते हुये, मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2022-23 में दिनांक 30.06.2023 तक प्रभावी दरों को संचालक मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 31.12.2023 तक स्थिर की जाती है।

उक्त आदेश अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।

आवासन आयुक्त

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iv)/38

दिनांक :- 30/06/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 02 निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 03 निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 04 अति.मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 05 अति.मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
- 06 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 07 उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 08 संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 09 आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 10 सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 11 वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 12 लेखाधिकारी, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 13 रक्षित फाईल।

उप वित्तीय सलाहकार